WWW.APMA.BIZ

ESTD. 1965

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)
AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)
(Regd No. S/2999 of 1966-67)
FLAT NO. 10, IST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006
Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA	VISHNU BHARGAVA	VINAY NARANG
PRESIDENT	Hony. General Secretary	Hony. Treasurer
Mobile : 9891008503	Mobile : 9811139614	Mobile : 9810193816

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/135 दिनांक : 24 जुलाई, 2017

प्रिय व्यापारी भाईयों, आपकी ''अपमा'' जी.एस.टी. कर प्रणाली के लिए, जिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसके तहत **Eazy Business Solutions** के साथ मिलकर व्यापारी भाईयों के लिए सहयोग की दिशा में पुनः प्रयास किया है। यह कम्पनी हमारे सदस्यों को एक खास आकर्षक मूल्य पर प्रदान कर सकें, इस हेतु इस कम्पनी ने अपनी तरफ से जो प्रस्ताव 'अपमा' को दिये है, वे इस प्रकार हैं –

Eazy Business Solutions
प्रेजेंट्स
Eazy PoS अंडर the Cloud ICT Scheme of Ministry of MSME

Benefits of Eazy PoS: Cloud Based PoS

- Zero installation footprint, total works on browser from cloud, can works on tablets also.
- It still works offline, so billing continues without internet.
- No worry about backups, UPS, Servers etc.
- Get a complete retail billing solution with barcode handling, faster billing, easy to use interface.
- **Integrated with Tally/Busy to send your accounting data to your system or directly to your CA**

- Eazy PoS MRP - 2,500/- Per Retail Counter per month
- Eazy PoS already reduced for MSME- Rs. 2,000/- per Retail Counter per month
- Eazy PoS Price for Association Members - 1,500/- per Retail Counter per month
- Subsidy available for Micro & Small Enterprises after registering for Udyog Aadhar Number online - Rs.900/- Per Retail Counter per month

Net Effective Price after Subsidy:
Rs. 600/- Per Retail Counter Per Month*

***Subsidy is subject to approval by Ministry by MSME for the User**
*** All prices quoted above are exclusive of 18% GST for PoS**

नोट : – गुरूवार 27 जुलाई 2017 को प्रातः 10 बजे से लेकर सांय 5.00 बजे तक **Eazy Business Solutions** के टीम अपमा कार्यालय में मौजूद रहेगी। यदि इच्छुक व्यापारी भाई सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी एवं पंजीकरण करवाना चाहते है वो अपना टीम नंबर एवं पैन नंबर साथ लेकर अवश्य आए। अधिक जानकारी हेतु निम्मलिखित मोबाइल नंबर 8130885533 पर सम्पर्क करें। कृपया ध्यान रखें कि 'अपमा' एक माध्यम मात्र है, जो कि अपने सदस्यों के लिए रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की चेष्टा कर रही है, जितने भी व्यावसायिक पहलू हैं, वे **Eazy Business Solutions** एवं आपके मध्य ही रहेंगे, 'अपमा' इसका कोई दायित्व नहीं लेगी, यह आपका स्वयं का अपना निर्णय होगा

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/136 **''जीएसटी पाठशाला के विषय में''**

जैसा कि आप सभी व्यापारी भाईयों को विदित ही है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कर प्रणाली लागू हो गई है। इस नई कर प्रणाली को समझने हेतु व्यापारियों को कई प्रकार की परेशानियां आ रही है, इसके अलावा जीएसटी से संबंधित कई शंकाए एवं प्रश्न है जिनका जानना व्यापारियों के लिए अति आवश्यक है। आप जानते है कि एक व्यापारी के मर्म को एक व्यापारी ही अच्छी तरह से समझ सकता ह, इसलिए ऐसी पाठशाला होनी चाहिए जिसमें व्यापारी भाई अपने व्यापारी भाई के समक्ष अपनी परेशानियों को रख सकें एवं जिन व्यापारी भाईयों को जीएसटी के बारे में ज्ञान है वो पाठशाला में आने वाले अपने व्यापारी भाईयों को जीएसटी के बारे में जानकारियां दे सकें। इन सभी पहुलओं को ध्यान मे रखते हुए आपकी संस्था 'अपमा' ने दो दिन गुरूवार दिनांक 26–7–2017 एवं शुक्रवार दिनांक 27–7–2017 को दोपहर 3.00 बजे से लेकर सायं 5.00 बजे तक अपमा कार्यालय में जीएसटी पाठशाला के आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसलिए आप सभी व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि गुरूवार दिनांक 26–7–2017 एवं शुक्रवार दिनांक 27–7–2017 को दोपहर 3.00 बजे से लेकर सायं 5.00 बजे तक अपमा कार्यालय में आयोजित होने वाली जीएसटी पाठशाला में आकर अपने–अपने व्यापार से संबंधित जानकारियां प्राप्त करें तथा इसका लाभ उठायें। और हमारी उन व्यापारी बन्धुओं से भी विनीत है जिनको जीएसटी के विषय में अच्छा ज्ञान है वह आये और अपने ज्ञान की बांटे तथा अपने बंधुओं को इसका लाभ दें।

कृ0प0उ0..........2

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–18 / 137

जीएसटी की सहायता हेतु मोबाइल वैन का शुभारम्भ

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि जीएसटी पर व्यापारियों की परेशानियों दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने मोबाइल हेल्प वैन चलाने की पहल शुरू की है। यह वैन दिल्ली के विभिन्न–विभिन्न बाजारों में जाकर व्यापारियों की जीएसटी से संबंधित परेशानियां दूर करेगी। इस वैन के साथ अधिकारीगण भी मौजूद रहेगें।

दोस्तों, हमारा सौभाग्य है इसी मुहिम का शुभाम्भ अपमा के प्रयास से सोमवार दिनांक 24–7–2017 को मोबाइल हल्प वैन कश्मीरी गेट बाजार में उपलब्ध थी, जीएसटी के बारे में व्यापारियों को जानकारियां देने हेतु अधिकारीगण मौजूद थे। अधिकारिगण के समक्ष व्यापारी भाईयों ने अपने प्रश्न रखे तथा अधिकारियों ने उनके प्रश्नों एवं उनकी शंकाओं का निवारण किया। हमारी संस्था दिल्ली सरकार के इस प्रयास का आभार व्यक्त करते है एवं आशा करते है कि आगे भी व्यापारियों की जीएसटी से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु आगे भी ऐसे प्रयास किये जाऐगें।

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–18 / 138

आप सभी व्यापारी भाईयों की जानकारी हेतु टैक्स इनवाइस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिये जा रहें है, कृपया ध्यान देवें –

1. सभी जीएसटी करदाता अपने इनवाइस का प्रारूप बनाने के लिए स्वतंत्र है।
2. जीएसटी कानून के अनुसार इनवाइस में केवल कुछ विशेष सूचनाएं होनी अनिवार्य है।
3. माल और सेवाओं के लिए इनवाइस जारी करने को निर्धारित अवधि अलग–अलग है। यह अवधि माल की सप्लाई से पहले कभी भी हो सकती है तथा सेवाओं के लिए, यह सेवा की सप्लाई की तारीख से 30 दिनों के भीतर है।
4. छोटे करदाता, जैसे छोटे खुदरा विक्रेता, जो अपंजीकरण ग्राहकों से 200 रूपये तक का लेनदेन करते है, उन्हें इसके लिए पृथक इनवाइस जारी करना आवश्यक नहीं है। ऐसे लेनदेन हेतु प्रतिदिन अंत में एक समेकित इनवाइस जारी किया जा सकता है। हालांकि, ग्राहक द्वारा मांगे जाने पर उन्हें इनवाइस जारी करना अनिवार्य होगा।
5. सामान्य परिस्थियों में इनवाइस की एक प्रति ट्रांसपोर्टर द्वारा रखना आवश्यक है। हालांकि जीएसटीएन इनवाइस संदर्भ संख्या प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है, और यदि करदाता ने यह नंबर प्राप्त कर लिया है, तो उसके माल को परिवहन के दौरान कागजी इनवाइस की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा अक्सर आने वाली समस्याओं जैसे कि कागजी इनवाइस गुम जाना, माल की दुलाई के दौरान विकृत हो जाना, फट जाना या खराब हो जाना, को हल करने में सहायक होगी।
6. छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन का बोझ कम रखने के लिए, जीएसटी कानून में यह प्रावधान किया गया है कि 1.5 करोड़ रूपये तक के वार्षिक काराबार वाले करदाताओं को इनवाइस में माल के एचएसएन कोड का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।
7. बैंकिग, बीमा और यात्री परिवहन क्षेत्र में लेनदेन की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए करदाताओं को अपने इनवाइसों में ग्राहक का पता और इनवाइस की क्रम संख्या का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।
8. जब सामान भेजा जा रहा हो, लेकिन परिवहन के समय सप्लाई की मात्रा नहीं पता है, तो माल को डिलीवरी चालान के साथ भेजा जा सकता है और इनवाइस डिलीवरी के बाद जारी किया जा सकता है
9. यदि गैर–कर योग्य सप्लाई के लिए वैट इनवाइस जारी किया गया है तो सप्लाई का अलग इनवाइस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

व्यापार एवं कर विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

(इन्द्रजीत सिंह)
चेयरमैन, कर उपसमिति